



सर्वजन पेंशन योजना



हर महीने की
5 तारीख
तक
मिल रहा
पेंशन

महीने की
शुरुआत में
ही होगा पेंशन
का भुगतान

पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के
सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त

साथन कार्ड की बाध्यता समाप्त

गोट आईडी कार्ड से मिल सकेगा
योजना का लाभ

राष्ट्रीय पेंशन योजना
के तहत ₹100 करोड़ के
दिवॉल्पिंग फण्ड का
प्रावधान

पेंशन योजना लाभ हेतु अन्य जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

- आयु प्रमाण पत्र संबंधित कोई दस्तावेज

मुख्यमंत्री राज्य निराप्रिति महिला सम्मान पेंशन योजना

- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो के संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की सद्व्यक्तिप्राप्तित छायाप्रति
- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला के संदर्भ में कांस्यिय एवं पंचवर्षीय संविच तथा शहरी/नगरीय क्षेत्र के लिए गार्ड पार्सिं एवं राजस्व उपनिवेशक का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा नानालीय विधायक/ सांसद, अथवा किसी साजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/ अनुवंशिता

01 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध

02 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराप्रिति महिला

03 05 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग

04 HIV/AIDS पीड़ित



यहां करें आवेदन :-

ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्र में
अंचल अधिकारी (CO) को आवेदन समर्पित करें

नोट:-

- परिवार आयकर अदा नहीं करता हो
- आवेदक स्वयं या पति/पत्नी, बैंड एवं राज्य सरकार या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/परिवारिक पेंशन प्राप्त करनेवाला नहीं होना चाहिए